न्यायालय जिला कलक्टर एवं प्रथम अपीलेट अधिकारी

(सूचना अधिकार अधिनियम 2005)

पीठासीन अधिकारी राजेन्द्र भट्ट (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :– **04/2019 अपील सू.प्र.**

उनवान

सज्जन कुमार पुत्र कन्हैयालाल सोडानी निवासी पोस्ट बीगोद तहसील माण्डलगढ	**बनाम**	लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार बिजौलिया
––अपीलार्थी		––प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत धारा 19(1) अधिनियम 2005

उपस्थित :– अपीलार्थी उपस्थित

प्रत्यर्थी की ओर से विभागीय प्रतिनिधि

निर्णय

दिनांक : 27.02.2019

अपीलार्थी की ओर से यह प्रथम अपील सूचना अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 19 (1) के अन्तर्गत लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार बिजौलिया के विरूद्ध दिनांक 31.12. 2018 को प्राप्त होकर निवेदन किया गया कि अपीलार्थी ने विहित अधिनियम की धारा 6(1) के अन्तर्गत निर्धारित शुल्क का पोस्टल ऑर्डर नं0 41 एफ 424098 राशि 10.00 रू0 के साथ एक आवेदन दिनांक 22.11.2018 को लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार बिजौलिया को प्रस्तुत किया। अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना हेतु प्रस्तुत आवेदन दिनांक 22.11.2018 की प्रति अपील मेमो के साथ प्रस्तुत की गई।

प्रस्तुत अपील इस कार्यालय में दिनांक 22.01.2019 को पंजीबद्ध किया जाकर प्रत्यर्थी् को सूचना पत्र जारी किया गया तथा प्रत्यर्थी लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार बिजौलिया द्वारा पत्रांक/277–78 दिनांक 11.02.2019 से रिपोर्ट प्राप्त हुई। प्राप्त रिपोर्ट का अवलोकन किया। रिपोर्ट अनुसार तहसीलदार बिजौलिया को अपीलार्थी द्वारा कोई आवेदन पत्र प्रस्तुत नही किया गया एवं डाक से भी प्राप्त नहीं हुआ। जिससे वांछित सूचना नही दी गयी।

उपरोक्त विवेचन अनुसार तहसीलदार बिजौलिया को निर्देशित किया जाता हैं कि अपील के परिपेक्ष्य में अपीलार्थी के आवेदन पत्र की प्रति प्रेषित की जा रही है। नियमानुसार अपीलार्थी को प्रतिलिपि प्रेषित की जावे।

आदेश आज दिनांक 27.02.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

(राजेन्द्र भट्ट)
जिला कलक्टर एवं
प्रथम अपीलेट अधिकारी
भीलवाड़ा